न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-173RAAJodhpur2021-77RTA225 Magaram ors Vs Rahingaram etc

01. मगाराम पुत्र श्री पेमाराम
02. पांचाराम पुत्र श्रीह पेमाराम
जातियान् जाट, निवासीगण- खबानिया, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. रहिंगाराम पुत्र अलाराम जाति- जाट, निवासी- खबानिया, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
प्रर्फोमा पक्षकार
2. आसीदेवी पत्नी श्री किशनाराम
3. लछू पुत्री श्री किशनाराम
4. गुड्डी पुत्री श्री किशनाराम
5. जरूपाराम पुत्र श्री किशनाराम
6. उगराराम पुत्र श्री किशनाराम
7. मुलाराम पुत्र श्री किशनाराम
8. रुगाराम पुत्र श्री किशनाराम
9. जितेन्द्र पुत्र श्री किशनाराम
10. दीपाराम पुत्र श्री किशनाराम
सभी जातियान् जाट, निवासीगण- खबानिया, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 16 मार्च 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 248/2012 रहिंगाराम बनाम मगाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री कैलाशसिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री सोनाराम चौधरी अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 12 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 248/2012 रहिंगाराम बनाम मगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 04 जून 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते डिले कण्डोन किये जाने बाबत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 98/2 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा ग्राम खबानिया तहसील औसियां में आने-जाने हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो संख्या दो दस/अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 97 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ए से बी रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 मार्च 2021 के जरिये प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता उपलब्ध है, जिसका जिक्र मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट की लाईन संख्या 7 में यह स्पष्ट लिखा है कि ''97 में सें होकर जा सकता है, इसका मतलब वहॉ से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चलायमान मार्ग नहीं है जो कि खसरा नं. 98/1 के खातेदार द्वारा समर्पण कर नया रास्ता बनाने का प्रयास मात्र है तथा मूल खसरा नं. 98 के खातेदारों ने जब बंटवाड़ा किया तो उनके द्वारा आपस में रास्ता छोड़ना उनका दायित्व था। वर्तमान में खसरा नं. 98 के चलायमान मार्ग विघमान है तथा इसके लिए पड़ौसी खातेदार को नया रास्ता स्थापित करने के लिए परेशान करना धारा 251-ए का मात्र दुरूपयोग करने का रह जाता है, जबकि मूल धारा की भावना इससे हट कर है। इस मामले में खसरा नं. 98/2 के खातेदार द्वारा खसरा नं. 98/1 व खसरा नं. 98 में सें खसरा नं. 97 के पास से वर्तमान में चल रहा है, उसी को मार्ग अपने भाईयों से कटाण मार्ग घोषित करवा सकते है। इसलिए खसरा नं. 97 की भूमि में से रास्ता उपलब्ध करवाने का कोई औचित्य हीं नहीं है। ऐसा लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी करते हुए बिना सोचे समझे प्रकरण को निर्णित किया एवं अपीलार्थी को अनावश्यक मकदमे बाजी में फसाया है। धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण का निस्तारण करते समय वैकल्पिक रास्ते के बिंदु को कतई नजर अंदाज नहीं किया जा सकता एवं वर्तमान में खसरा नं. 98/2 के खातेदार को कोई रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह 98 व 98/1 में सें होकर चलने वाले रास्ते से कटाणी रास्ते से अपनी भूमि खसरा नं. 98/2 में आवागमन हमेशा करता आया है तथा खसरा नं. 98, 98/1, 98/2 सभी मूल खसरे 98 के ही भाग है जो कि मुख्य मार्ग से चिपता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्ष के हित को देखते हुए मामले का निस्तारण किया है। अपीलार्थी के हित को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया। अपीलार्थी की भूमि के रकबे को देखने हुए इसमें से कोई रास्ता उपलब्ध करवाया ही नहीं जा सकता तथा रास्ता निकालने के बाद खसरा नं. 97 का जो रकबा शेष बचेगा उसका कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

महत्व नहीं रह जायेगा तथा खसरा नं. 97 की जो भूमि खसरा नं. 98 की तरफ छोटे त्रिकोण की तरह रह जायेगी जो कि अपीलार्थी के लिए खेती योग्य नहीं रह जायेगी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वास्ते डिले कण्डोन किये जाने बाबत पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते लागू लॉकडाउन के चलते अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने हुई देरी का सद्भाविक कारण है। लॉकडाउन खुलते ही अपीलांट द्वारा अविलंब अपील प्रस्तुत की है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वास्ते डिले कण्डोन किये जाने बाबत स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 248/2012 रहिंगाराम बनाम मगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2021 को खारिज फरमाया एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को कम नुकसान हो इस आधार पर तहसीलदार औसियां से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही कम नुकसान वाला बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते घोषित विश्वव्यापी लॉकडाउन के चलते अपीलांट्स हस्तगत अपील समय पर पेश नहीं कर पाये। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर संतोषजनक एवं सद्भाविक कारण बतलाये जाने से मामले का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र वास्ते डिले कण्डोन किये जाने बाबत स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 09.01.2020 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खसरा नं. 98/2 में आवागमन हेतु खसरा नं. समर्पित भूमि खसरा नं. 97/7 में सें होते हुए अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नं. 97 में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता पाया जाता है, जिसमें रास्ते के रूप में भूमि केवल 01 बिस्वा ही काम में आती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत विधिसम्मत रास्ते का आदेश पारित किया जाना पाया जाता हैं। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 248/2012

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रहिंगाराम बनाम मगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 मार्च 2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर